

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या -31/2021-22

छोटानागपुर कस्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

सुरेश चन्द्र महतो बनाम चम्पा देवी

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता -

सुरेश चन्द्र महतो पिता-स्व० गोबिन्द महतो,
ग्राम-डोकाद, पो०-राहे, थाना-सोनाहातु, ओ०पी०
राहे, जिला-राँची, जाति-कुरमी महतो, पेशा-खेती
वारी।

क्रेता का नाम एवं पता -

चम्पा देवी पति-योगेन्द्र नाथ महतो, ग्राम-बरवाडीह
टोला बटोसकरा, पो०-राहे, थाना-सोनाहातु,
ओ०पी० राहे, राँची, जाति-कुरमी महतो,
पेशा-गृहिणि।

विद्वान अधिवक्ता का नाम -

श्री राजेन्द्र महतो।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-20/07/2021 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत क्रेता चम्पा देवी पति-योगेन्द्र नाथ महतो, ग्राम-बरवाडीह टोला बटोसकरा, पो०-राहे, थाना-सोनाहातु, ओ०पी० राहे, राँची, जाति-कुरमी महतो, पेशा-गृहिणि, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी है:-

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
बाघाडीह	बुण्डू/08	70	1017	10 डी० चौहद्दी:- उ०-करम महतो। द०-बुंडू सोनाहातु रोड। पू०-अरुण महतो। प०-पुरन्दर महतो।

९

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बुण्डू से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, बुण्डू का पत्रांक-637(ii) दिनांक-06/10/2021 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो कि निम्नवत है।

- (1) विक्रेता के पास रकबा-10.37 ए० भूमि है।
- (2) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास रकबा-10.27 ए० भूमि बचती है।
- (3) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को आवश्यक कार्य हेतु बिक्री कर रहे है।
- (4) विक्रेता खतियानी रैयत के पोता लगते है।
- (5) खतियानी के आधार जमाबंदी कायम है।
- (6) प्रस्तावित जमीन पर वर्तमान में विक्रेता का दखल कब्जा है।
- (7) विक्रेता एवं क्रेता दोनो सोनाहातु थाना के निवासी है।
- (8) विक्रेता एवं क्रेता दोनो कुरमी जाति के है।
- (9) प्रस्तावित जमीन का सरकारी रसीद महरई महतो के नाम से निर्गत है।
- (10) प्रस्तावित जमीन टाड़-II श्रेणी की है।
- (11) प्रस्तावित भूमि भू हदबंदी, भू-अर्जन, गैरमजरूआ खस, वन, जंगल, झाड़ी, श्मशान, गोचर, नदी, नाला, कब्रस्तान एवं धार्मिक स्थल से बाहर है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, बुण्डू ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत विक्रेता सुरेश चन्द्र महतो पिता-स्व० गोबिन्द महतो, ग्राम-डोकाद, पो०-राहे, थाना-सोनाहातु, ओ०पी० राहे, जिला-राँची, जाति-कुरमी महतो, पेशा-खेती वारी, को क्रेता चम्पा देवी पति-योगेन्द्र नाथ महतो, ग्राम-बरवाडीह टोला बटोसकरा, पो०-राहे, थाना-सोनाहातु, ओ०पी० राहे, राँची, जाति-कुरमी महतो, पेशा-गृहिणि, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

इस न्यायालय के द्वारा दिनांक-12/08/2021 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संबंधित अंचल कार्यालय से प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, बुण्डू के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता सुरेश चन्द्र महतो पिता-स्व० गोबिन्द महतो, ग्राम-डोकाद, पो०-राहे, थाना-सोनाहातु, ओ०पी० राहे, जिला-राँची, जाति-कुरमी महतो, पेशा-खेती वारी, को क्रेता

९

चम्पा देवी पति-योगेन्द्र नाथ महतो, ग्राम-बरवाडीह टोला बटोसकरा, पो०-राहे, थाना-सोनाहातु, ओ०पी० राहे, राँची, जाति-कुरमी महतो, पेशा-गृहिणि, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा-46(i)b के तहत दी जाती है। तथा अवर निबंधक, बुण्डू/जिला अवर निबंधक, राँची को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नही करेंगे।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
बाघाडीह	बुण्डू/08	70	1017	10 डी० चौहददी:- उ०-करम महतो। द०-बुंडू सोनाहातु रोड। पू०-अरुण महतो। प०-पुरन्दर महतो।

लेखापित एवं संशोधित।


2010

भूमि सुधार उप समाहर्ता।
बुण्डू (राँची)।


2010

भूमि सुधार उप समाहर्ता।
बुण्डू (राँची)।